न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

III/निगरानी/सतना/भू.रा/2017/3864

गुलाब सिंह तनय श्री रामफल सिंह उम्र 62 वर्ष निवासी रायपुर तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0---------------**निगराकार**

बनाम

जय सिंह पिता शिवकुमार सिंह निवासी रायपुर तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0---------------------------**गैर निगराकार**

श्री मनोज अग्निहोत्री ए. द्वारा आज दि. 13-10-017 को प्रस्तुत 13.10.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पेशी 17.10.17

निगरानी विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील रघुराजनगर वृत्त कोठी जिला सतना म0प्र0 के राजस्व प्रकरण कमांक-51ए74/16-17 एवं न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के संलग्न प्रकरण कमांक-1ए74/17-18 में पारित आदेश दिनांक 08.09.17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में निगराकार निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :-

संक्षिप्त तथ्य

यह कि गैर निगराकार द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय सतना के न्यायालय में एक आवेदन पत्र बाबत् बंदोबस्ती नक्शे में सुधार कराया

Conti--2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/सतना/भू.रा./2017/3864

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/05/2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 1/अ-74/16-17 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.2019 को कलेक्टर जिला सतना के समक्ष उपस्थित हों। (बी.एम. शर्मा) सदस्य	